

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 गुदागौड़जी
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 18/11/2021, ग्राम मोडवाड़ी के जमाबंदी नम्बर 2075-78 के खाता नं. 140 में
 उम्मी का नाम स्वतंत्र से मनीष कुमार पु लक्ष्मण वर्मा ही जो नि.सं.नं
 दस्तावेजों के आधार पर मनीष लोयल पु लक्ष्मण दिया जाना उचित है
 पत्नी लक्ष्मी (रिपोर्ट अंक 23 का शुद्ध Babiता
 बिक्रम जगत 2 तिर है) 01/11/21 गाँव 2021
 पटवारी - मोडवाड़ी

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरांपा की जाती है / नहीं की जाती है।

21/22
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंसुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 1-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
2	मोडवाड़ी	2075-78	140	मनीष कुमार पु लालचन्द जागि मेघवाल	मनीष लोयल पु लालचन्द जागि मेघवाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

24
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 666-67
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 1-11-2021

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

24
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी